न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2014RAAJu223RTA084 PrakashChand etc Vs LRs of Babulal

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र सोनराज ब्राहम्ण
2. नवरतनमल पुत्र सोनराज ब्राहम्ण
3. राधेश्याम पुत्र सोनराज ब्राहम्ण
4. पिस्ता पुत्री सोनराज ब्राहम्ण
   निवासीगण कालाउना, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र (फौत) जरिये कायममुकामान-
   a. भंवरी पत्नी बाबूलाल
   b. माणकलाल पुत्र बाबूलाल
      निवासीगण गजानन्द कॉलोनी, गायत्री सदन
      के सामने
      सूथला, चौपासनी रोड, जोधपुर
2. फुसाराम पुत्र रामचन्द्र
3. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
4. लालचन्द पुत्र रामचन्द्र
5. सुगनचन्द्र पुत्र रामचन्द्र
6. छोटाराम पुत्र सिरदारारांम
7. मोतीराम पुत्र सिरदाराराम
8. खेमचन्द पुत्र ढगलाराम
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र ढगलाराम
10. तेजराम पुत्र ढगलाराम
11. द्वारकादास पुत्र हापूराम
12. गुदडराम पुत्र अन्नराज के कायममुकामान--
    a. अजोध्या देवी पत्नी गुदडराम
    b. संतोष पुत्री गुदडराम
    c. राजेन्द्र कुमार पुत्र गुदडराम
    d. सम्पतराज गौड पुत्र गुदडराम
    e. प्रमोद कुमार गौड पुत्र गुदडराम
       निवासीगण कालाऊना, तहसील बिलाडा
       जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

13. घीसाराम पुत्र अन्नराम ब्राह्मण
14. हंसराज पुत्र नैनाराम
15. शिवराज पुत्र नैनाराम
16. भगवानदास पुत्र नैनाराम के कायममुकामान -
    a. जनार्दनलाल पुत्र भगवानदास
    b. जयनारायण पुत्र भगवानदास
    c. हरिशचन्द्र पुत्र भगवानदास
       निवासीगण कालाऊना, तहसील बिलाडा
       जिला जोधपुर
    d. शारदा पुत्री भगवानदास के कायममुकामान--
       i. सुभाष पुत्र जगदीश ब्राहम्ण
       ii. मंजू पुत्री जगदीश ब्राहम्ण निवासी हिसार (हरियाणा)
       iii. मधु पुत्री जगदीश ब्राहम्ण निवासी बीकानेर
17. नाथीदेवी पत्नी सोहनलाल (फौत)जरिये कायममुकामान-
    a. बुद्धाराम पुत्र सोहनलाल
    b. सुरेश पुत्र सोहनलाल
       निवासीगण मकान संख्या 156 प्रताप नगर द्वितीय देवली अरब रोड बोरखेडा कोटा
    c. शारदा पुत्री सोहनलाल इन्दोरिया पत्नी सोहनलाल व्यास(ब्राहम्ण) निवासी टेवाली वाया सोमेसर तहसील व जिला पाली
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा, जिला जोधपुर
19. चैनाराम पुत्र मांगीलाल गुर्जर, निवासी रास, तहसील जैतारण जिला पाली
20. गिरधारीसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत, निवासी राबडियावास, तहसील जैतारण जिला पाली
21. अमित पुत्र आवडदान चारण निवासी प्रतापपुरा तहसील जैतारण जिला पाली

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सहायक कलेक्टर बिलाडा दिनांक 02 जून 2014 राजस्व मूल वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

02/2002 सोहनराज के कायममुकाम प्रकाशचन्द्र
व अन्य बनाम बाबुलाल इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1, 6 व 7
श्री मूलसिंह गहलोत, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 12 के वारिसान की ओर
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 17
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता - रेस्पो. 18

नि र्ण य

दिनांक : 18 नव., 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर, बिलाडा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 2/2002 प्रकाशचन्द्र व अन्य बनाम बाबुलाल इत्यादि में पारित में आदेश दिनांक 02 जून 2014 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 नवम्बर 2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर जाहिर किया कि राजस्व ग्राम कालाऊना के खसरा संख्या 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 350, 351, 341, 344, 346, 347 और 1070/349 रकबा 97 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 का ¼ हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 और जावंता पुत्र पाबु का संयुक्त रूप से ½ हिस्सा और बकाया ¼ हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 14 से 16 का है। इसी प्रकार खसरा संख्या 1069/351 व 1077/341 रकबा एक बीघा 03 बिस्वा वाके

राजस्व अपील प्राधिकारी

मौजा कालाऊना में प्रतिवादीगण संख्या 12, 13 का ¼ हिस्सा, जावतां का ¼ हिस्सा व बकाया ¼ हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का होना जाहिर किया। इसी प्रकार खसरा संख्या 340, 342, 343 व 348 रकबा 28 बीघा 06 बिस्वा वाके मौजा कालाऊना में प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 का ½ हिस्सा और बकाया ½ हिस्सा जांवता पुत्र पाबू का होना बताया। साथ ही कथन किया कि अन्नराज एवं जांवता दोनों परस्पर सगे भाई थे, जांवता के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं था, एकमात्र जाईन्दा पुत्री प्रतिवादिनी संख्या 17 नाथीदेवी थी, इस कारण जांवता द्वारा अपने भाई अन्नराज के पुत्र वादी सोनराज को संवत् 2033 में सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार दत्तक ग्रहण किया, इसके अतिरिक्त दिनांक 22 फरवरी 1988 को वादी सोनराज के पक्ष में एक वसीयतनामा भी निष्पादित किया। इस प्रकार जांवता के देहावसान के बाद वादग्रस्त आराजियात में उसके हक-हिस्से की भूमि का वारिस वादी सोनराज हुआ, मगर प्रतिवादिनी संख्या 17 द्वारा वादग्रस्त आराजियात से वादी को जबरन बेदखल करने की धमकिया देने पर दावा पेश करना पडा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। सम्मनों की समुचित तामील के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2002 को प्रतिवादीगण संख्या एक से सात एवं दस के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 06 अप्रेल 2002 को प्रतिवादिनी नाथी की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 25 मई 2002 को बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण संख्या 8,9,11, 14 व 15 के खिलाफ भी इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। 20 सितम्बर 2002 को प्रतिवादिनी संख्या 17 नाथी की ओर से जबाबदावा एवं काउण्टर क्लेम पेश किया गया, जिसमें जाहिर किया गया जांवता की वह एक मात्र पुत्री है, उसके पिता द्वारा न तो

किसी को दत्तक लिया गया और न ही कोई वसीयतनामा निष्पादित किया गया। विरासत के आधार पर जांवता के हिस्से की आराजियात की वह तन्हा उत्तराधिकारी है। 20 सितम्बर 2002 को प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से जबाबदावा पेश हुआ। दिनांक दिनांक 17 अक्तूबर 2002 को प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से जबाबदावा पेश किया गया। 16 मार्च 2003 को वादी-पक्ष की ओर से प्रतिवादिनी संख्या 17 के काउण्टर-क्लेम का जबावुल जबाब पेश किया गया।

तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे, जबाबदावे एवं काउण्टर क्लेम एवं जबाबबुल जबाब के आधार पर दिनांक 10 फरवरी 2004 को निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद निर्णय करते हुए दिनांक 19 मई 2014 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण-अपीलाण्ट का दावा खारिज कर प्रतिवादिनी-रेस्पो. मु. नाथीदेवी का काउण्टर-क्लेम स्वीकार कर दिया गया और प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 02 जून 2014 पारित किये गये। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित तहसीलदार को मौके पर जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने होते है मगर आलौच्य प्रकरण में हलका पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उनके संबंध में सुनवाई का कोई अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारानक? को नहीं दिया गया। इस प्रकार संबंधित नियमों की समुचित पालना के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पो. की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रस्तुत अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 मई 2014 के खिलाफ वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 37/2014 का आज दिनांक 15 नवम्बर 2019 को निर्णय किया जा चुका है। उक्त अपील में पारित निर्णय अनुसार अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 मई 2014 अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्राथमिक डिक्री पर आधारित फाइनल डिक्री व निर्णय दिनांक 02 जून 2014 एवं उसके खिलाफ प्रस्तुत अपील स्वतः ही सारविहीन हो जाते है।

अतः उपरोक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 02 जून 2014 तथा उसके खिलाफ प्रस्तुत अपील दोनों स्वतः ही खारिज हो जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/11/19

(नखतदान बारहठ)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर